UTTAR PRADESH SHASAN

PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/2019/733/XXX-4-2019-113/89TC dated 21 june, 2019

Notification

No. 15/2019/ 733 /XXX-4-2019-113/89TC

Lucknow: Dated 21 june, 2019

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (2) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with sub-rule (8) of rule 55 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 and section-21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make following amendent in Government notification no. 2104/XXX-4-08-113/89, dated January 29, 2009:-

AMENDENT

In the aforesaid notification, under the heading the State Transport Authority for the entry at serial no. 1, the following entry shall be substituted, namely:-

"1- Dr. Akhilesh Kumar Mishra, Special Secretary, Government of Uttar Pradesh in Transport Department- Chairman"

By Order,

(Aradhana Shukla)

Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-15/2019/733/तीस-4-2019-113/89टीसी

लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 55 के उप नियम(8) और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 168 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-2104/ तीस-4-08-113/89 दिनांक 29 जनवरी, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैः-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन में, क्रम संख्या-1 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्ः-

''1- डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- अध्यक्ष।''

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2019/733/तीस-4-2019-113/89टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 21 जून, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)

विशेष सचिव।

संख्या-15/2019/733/तीस-4-2019-113/89टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 15/2019/733/तीस-4-2019-113/89टीसी तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव,भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसदमार्ग,नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।